तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/611/2002/भरतपुर महेन्द्र सिंह बनाम रविन्द्र सिंह व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.06.2023	**एकलपीठ** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** उपस्थितः– श्री जे0के0 पारिक, अभिभाषक प्रार्थी अभिभाषक अप्रार्थी अनुपस्थित अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। **<u>निर्णय</u>** प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–01–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो0/अप्रार्थी संख्या 1 ने परीक्षण न्यायालय सहायक कलेक्टर, भरतपुर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.11.1995 के विरूद्ध अपील अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत की। दौराने अपील रेस्पो0 इन्द्रजीत सिंह, श्याम सिंह एवं लक्ष्मण सिंह का देहान्त हो गया। परंतु रेस्पो0 के वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने की कार्यवाही समयावधि में नहीं की गई। इस कारण से आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि रेस्पो0 की अपील को अबेट मानते हुये निरस्त फरमायी जावें। जिस पर अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 17.01.2002 द्वारा प्रार्थीगण की आपत्तियां स्वीकार करते हुये अप्रार्थी इन्द्रजीत सिंह एवं लक्ष्मण सिंह के विरूद्ध अपील अबेट करते हुये अप्रार्थी संख्या 9 श्यामसिंह के वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने के आदेश पारित कर दिये। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मंडल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस निगरानी में सुनी गयी। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/611/2002/भरतपुर महेन्द्र सिंह बनाम रविन्द्र सिंह व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि अपीलीय न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि रेस्पो0 ने इन्द्रजीत सिंह, श्यामसिंह एवं लक्ष्मण सिंह के वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने के कार्यवाही समयावधि में नहीं की। इस कारण से संपूर्ण अपील अबेट किये जाने योग्य थी परंतु ऐसा नहीं कर अप्रार्थी श्यामसिंह के वारिसानों को रिकॉर्ड पर लेने के आदेश पारित करने में अपीलीय न्यायालय ने विधिक त्रुटि कारित की है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि दावा सभी पक्षकारों के विरूद्ध था एवं सभी मृतकों के हक में निर्णय पारित किया गया था। इस कारण अपील अबेट करते हुये निरस्त किये जाने योग्य थी। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र कायम मुकामान को रिकॉर्ड पर लेने का अंदर मियाद प्रस्तुत नहीं किया एवं ना ही देरी को कन्डोन करने के लिये कोई समुचित कारण न्यायालय के समक्ष पेश किया। धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रावधान मेन्डेटरी है, फिर भी आदेश 22 नियम 9 सी0पी0सी0 के तहत संपूर्ण अपील को अबैट नहीं कर अपीलीय न्यायालय ने निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने 2013 आर0एल0डब्ल्यु0 (2) आर0जे0 (एच0सी0) पेज 1244, 2021(3) डी0एन0जे0 (एच0सी0) राज0 पेज 981, 2016 आर0बी0जे0 (एच0सी0) पेज 555, के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुये हस्तगत निगरानी को स्वीकार करने का निवेदन किया। हमने योग्य अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि :– ‘‘ अपीलांट ने दिनांक 30.12.2000 को रेस्पो0 संख्या 8 एवं 10 के वारिसानों को रिकॉर्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/611/2002/भरतपुर महेन्द्र सिंह बनाम रविन्द्र सिंह व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पेश किया है। जिसमें इन्द्रजीत सिंह की मृत्यु जनवरी 2000 में तथा रेस्पा0 लक्ष्मण सिंह की मृत्यु अप्रेल 2000 में बताई है तथा प्रार्थना पत्र 30.10.2000 को पेश किया है। प्रार्थना पत्र के साथ डिले कण्डोन करने बाबत् कोई प्रार्थना पत्र धारा 5 का भी पेश नहीं किया गया है ना ही हल्फनामा पेश किया है जबकि मृत्यु से तीन माह की अवधि में कार्यवाही अमल में लाई जानी चाहिये।''

इस प्रकार इस निगरानी में वर्णित समस्त तथ्यों एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अवलोकन एवं वकील निगराकार की बहस से यह स्पष्ट होता है कि इस प्रकार रेस्पो0/वादी पक्ष द्वारा मृतक पक्षकार के वारिसान कायमी बाबत् निर्धारित तीन माह की अवधि में ना तो आवश्यक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और ना ही विलंब माफी के लिये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और ना शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। इस स्थिति में निगराकार पक्ष द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांतों के आधार पर इस विधिक स्थिति की पुष्टि होती है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन संबंधित अपील विधि अनुसार अबेट हो जाती है।

अतः यह निगरानी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.01.2002 अपास्त किया जाता है। अपीलीय न्यायालय के यहां विचाराधीन अपील अबेट शुमार घोषित की जाती है।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य